न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3310/2005/झुझुंनू

1. रामावतार पुत्र सांवरा जाति चमार
2. विमला
3. लक्ष्मी
4. सरबती
5. परमेश्वरी
6. मु0 मंजू पुत्रियां स्वर्गीय सावरा चमार
   समस्त निवासीगण कस्बा झुझुनूं

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. शरद पवन पुत्र लोकनाथ पौत्र स्व. जगन्नाथ महाजन निवासी खारा कुआं बम्बई

–प्रत्यर्थी

2. रामकोरी बेवा लीलाधर चमार
3. राकेश
4. मुकेश
5. शीशराम पुत्रगण लीलाधर चमार
6. सतवीर
7. ऊषा
8. संगीता
9. निर्मला
10. पूनम
11. मान्यता
12. बबली पुत्र एवं पुत्रियां लीलाधर चमार
    समस्त निवासीगण कस्बा झुझुंनू
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुझुंनू

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल एवं श्री एस.एस.मीणा, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण
श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या–1

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 20बीघा 14बिस्वा एवं खसरा नम्बर 38 रकबा 25बीघा 02बिस्वा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 38 में उत्तर दिशा की 11बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या–3 व शेष भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी ने दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर विवादित सम्पूर्ण आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर एक तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 02–03–2005 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या– 2 व 3 को विवादित आराजी से बेदखल कर राजस्व अभिलेख में दर्ज जगनाथ पुत्र नागर के सही वारिसान को कब्जा सम्भलाये जाने का आदेश तहसीलदार, झुझुंनू को प्रदान किया। इस निर्णय के विरूद्ध

प्रतिवादी संख्या–2 लीलाधर के वारिसान एवं वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से दो अपीले अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी असल प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा जगन्नाथ के वारिसान को दिये जाने बाबत् पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। उनका कथनहै कि विवादित आराजी पर जगन्नाथ का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि प्रत्यर्थी संख्या–1 व उसका दादा तो पचासों साल से बम्बई में व्यापार कर रहे है तथा विवावदित आराजी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनके पक्षकार के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने से पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद को प्रमाणित भी करवाया गया था किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों, जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर उचित विवेचन किये बिना वाद व अपील को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सम्वत् 2020–23 की जमाबन्दी में उनके पक्षकार के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र नागरमल जाति महाजन की खातेदारी में दर्ज थी तथा पश्चात्वर्ती राजस्व अभिलेख में भी विवादित आराजी उनके पक्षकार के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज है। उनका कथन है कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033 में विवादित आराजी पर सांवरा पुत्र सुन्दर चमार की काश्त दर्ज हुई, जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि वादीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रमाणित हो कि वादीगण उनके पूर्वज विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के समय से काबिज काश्त रहे हो। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी दिनांक 31–07–2002 के साथ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 52/2000 बउनवानी इमरती देवी

बनाम कुरडाराम में पारित आदेश दिनांक 7–8–2006 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसे रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 7–8–2006 को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. इसी प्रकार पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 2–2–2012 में उल्लेखित अनुसार अपीलार्थी रामवतार ने अपीलार्थी संख्या–1, 4, 5 व 6 को अपनी हद तक अपील संख्या 3310/2005 व दावा संख्या–57/2000 को विड्रो करने की स्वीकृति चाही गयी है, जिस पर केवल मात्र अपीलार्थी संख्या–1 रामावतार के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या–6 मंजू की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 19–09–2014 का प्रस्तुत कर अपनी हद तक अपील व दावे को विड्रो करने की स्वीकृति चाही गयी है। इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या–4 सरबती की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 23–06–2016 का प्रस्तुत कर अपनी हद तक अपील व दावे को विड्रो करने की स्वीकृति चाही गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी अपीलार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं अपीलार्थीगण संख्या–1, 4 व 6 की ओर से स्वयं के हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उनके अधिवक्तागण के पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर नहीं है, ना ही उनके द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में कुछ अपीलार्थीगण की ओर से अपील एवं दावे को विड्रो किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार तीनों प्रार्थनापत्र खारिज किये जाते है।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 20बीघा 14बिस्वा एवं खसरा नम्बर 38 रकबा 25बीघा 02बिस्वा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 38 में उत्तर दिशा की 11बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या–3 व शेष भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी ने दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे वादीगण को विवादित आराजी पर कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक को प्रमाणित होता हो। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

10. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा जगन्नाथ पुत्र नागर मल के वारिसान को दिलाये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा इस प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा ही पेश नहीं किया गया था, ना ही जगन्नाथ के वारिसान प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा ऐसा कोई अनुतोष चाहा गया था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के अभिकथनों से बाहर जाकर विचारण न्यायालय ने बेदखली बाबत् आदेश पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के अभिकथनों से बाहर जाकर कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा

सकता। प्रस्तुत प्रकरण में बेदखली बाबत् कोई अनुतोष किसी पक्षकार द्वारा नहीं चाहा गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को विवादित आराजी से बेदखल करने बाबत् पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में से बेदखली बाबत् पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित शेष निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष